2010:CGHC:11473-DB
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर**

**दाण्डिक अपील संख्या 1227/2002**

**अपीलकर्तागण** : (जेल में)

1. प्रमोद तिवारी उर्फ काजू तिवारी पिता स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ तिवारी उम्र लगभग 27 वर्ष, पेशा चपरासी शिक्षा विभाग (केदारपुर हाई स्कूल)

2. प्रदीप तिवारी उर्फ पिंकू तिवारी पिता स्वर्गीय श्री प्रेमनाथ तिवारी उम्र लगभग 22 वर्ष, पेशा बेरोजगार (म्यूजिकशॉप)

दोनों निवासी बोरीपारा, अंबिकापुर, थाना और तहसील अंबिकापुर

अंबिकापुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)

**बनाम**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

{दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दाण्डिक अपील}

---

**उपस्थित** :

श्रीमती हमीदा सिद्दीकी, अपीलकर्ताओं की अधिवक्ता ।
श्री राकेश झा, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य/प्रत्यर्थी के लिए।

---

**युगल पीठ :-**
**माननीय श्री टी.पी. शर्मा और**
**माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायाधिपतिगण**

**मौखिक निर्णय**
**(19-1-2010)**

**टी.पी. शर्मा न्यायाधिपति**

1. इस अपील में दिनांक 25/11/2002 को प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अंबिकापुर द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 76/2002 में पारित दोषसिद्ध के निर्णय और सजा के आदेश को चुनोती दिया गया है, जिसके द्वारा विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को सामान्य आशय से मृतिका रश्मि तिवारी पत्नी अपीलकर्ता क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी की हत्या की कोटि

में आने वाले मानव वध करने, उस पर क्रूरता और यातना देने और दहेज की मांग करने का दोषी ठहराते हुए, अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34, 498क पठित, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दोषी ठहराया, और उनमें से प्रत्येक को आजीवन कारावास और 1,000/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने पर छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा; तीन वर्ष का कठोर कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा; छह महीने का कठोर कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा और छह महीने का कठोर कारावास और 500/- रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई, जुर्माना अदा न करने पर क्रमश: तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा ।

2. निर्णय को इस आधार पर आपेक्षित किया गया है कि किसी भी विश्वसनीय और निर्णायक साक्ष्य के बिना, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को पूर्वोक्त रीति से सिद्धदोष ठहराया और दंडादेश दिया है और इस प्रकार अवैधता कारित किया है।

3. संक्षिप्त में अभियोजन का मामला यह है कि अपीलकर्ता संख्या 1 प्रमोद तिवारी उर्फ काजू तिवारी की पत्नी और अपीलार्थी क्रमांक 2 प्रदीप तिवारी उर्फ पिंकू तिवारी की भाभी रश्मि तिवारी उर्फ रानी तिवारी का विवाह अप्रैल 1998 में अपीलकर्ता क्रमांक 1 के साथ हुआ था। अपीलकर्ता दहेज की मांग को लेकर उस पर अत्याचार और क्रूरता करते थे। दिनांक 20/9/2001 के घटना दिन अंबिकापुर में लगभग 3.30 बजे अपीलकर्तागण अपने घर में मौजूद थे, रश्मि तिवारी (मृतिका) भी मौजूद थी और अपीलकर्ता क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी ने रश्मि तिवारी के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी और दरवाजा भी बंद कर दिया। रश्मि तिवारी जल गईं। उन्हें इलाज के लिए होली क्रॉस अस्पताल, अंबिकापुर ले जाया गया। डॉक्टरों ने घटना के संबंध में थाने को प्रदर्श पी-20 के माध्यम से सूचित किया। मृतिका की मां निर्मला देवी (अ.सा. -5) अस्पताल आईं, जिनके सामने मृतिका ने मृत्युपूर्व घोषणा की कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी है। उसने प्रदर्श पी-7 के माध्यम से एफ.आई.आर दर्ज कराई। मृतिका की बेड हेड टिकट प्रदर्श पी-21 जब्त की गई। दिनांक 20/9/2001 को मृतिका का मृत्युपूर्व बयान कार्यकारी मजिस्ट्रेट पी.डी. लकड़ा (अ.सा. -2) द्वारा प्रदर्श पी -1 के माध्यम से दर्ज किया गया जिसमें मृतिका ने बयान दिया कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी और अपीलकर्ता क्रमांक 2 प्रदीप तिवारी घर में मौजूद था। मृतिका के जले हुए कपड़ों के टुकड़े दिनांक 22-9-2001 को प्रदर्श पी-3 के माध्यम से बरामद किए गए। आरोपी प्रमोद तिवारी से मिट्टी के तेल की गंध वाली एक शर्ट और एक पैंट प्रदर्श पी -2 के माध्यम से जब्त की गई। अपीलार्थी क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी को भी प्रदर्श पी-6ए के माध्यम से चिकित्सीय जांच के लिए भेजा गया था और डॉ. जे.के. जैन (अ.सा. -4) द्वारा उसकी जांच की गई थी, लेकिन उसके शरीर पर कोई जलने की चोट नहीं पाई गई थी (प्रदर्श पी -6) से। माचिस, स्टोव, पत्र और जले हुए कपड़े का टुकड़ा प्रदर्श पी -15 के माध्यम से घटनास्थल से बरामद किया गया। जांच अधिकारी द्वारा प्रदर्श पी -16 के माध्यम से घटनास्थल का नक्शा तैयार किया गया। इलाज के दौरान, रश्मि तिवारी की मृत्यु दिनांक 30/9/2001 को हो गई। डॉक्टर द्वारा प्रदर्श पी -4 के माध्यम से मृतिका की मृत्यु की सूचना दी गई और प्रदर्श पी-4 के आधार पर प्रदर्श पी -5 के माध्यम से मर्ग सूचना दर्ज की गई।

4. साक्षियों को प्रदर्श पी -10 के माध्यम से समन करने के पश्चात्, मृतिका के शव का पंचनामा प्रदर्श पी -11 के माध्यम से तैयार किया गया। शव को शव परीक्षण हेतु जिला अस्पताल, अंबिकापुर प्रदर्श पी -8 के माध्यम से भेजा गया तथा डॉ. जे.के. रेलवानी (अ.सा.-6) द्वारा प्रदर्श पी -9 के माध्यम से शव परीक्षण किया गया, जिन्होंने शव पर जलने के घाव पाए तथा मृत्यु का कारण सेप्टिसीमिया के परिणामस्वरूप सिंकोप बताया। जब्तशुदा माल को रासायनिक विश्लेषण हेतु प्रदर्श पी -19 के माध्यम से भेजा गया।

5. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए और जांच पूरी होने के बाद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंबिकपुर के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया, जिन्होंने मामले को विचारण के लिए सत्र न्यायालय, अंबिकपुर को उपार्दित किया, जहां से अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले को अंतरण पर प्राप्त किया।

6. अपीलकर्ताओं के अपराध को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कुल ग्यारह साक्षियों का परीक्षण किया । अभियुक्तों की दंड प्रक्रिया संहिता. की धारा 313 के तहत परीक्षण किया गया जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट होने वाली परिस्थितियों से इनकार किया, उन्होंने निर्दोषता और झूठे फंसाए जाने का तर्क दिया। उन्होंने अपने बचाव में विजेंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ बीजू (ब.सा.-1), गुलाम रसूल अंसारी (ब.सा.-2) और संजय मिश्रा (ब.सा.-3) की भी परीक्षण किया गया। विजेंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ बीजू (ब.सा.-1) ने गवाही दी है कि वह उसी इलाके में रह रहे हैं और उन्होंने मृतिका और अपीलकर्ताओं के परिवार के बीच कोई झगड़ा या विवाद नहीं सुना है। गुलाम रसूल अंसारी (ब.सा.-2) ने गवाही दी है कि दहेज से संबंधित कोई मांग नहीं थी और घटना की तारीख पर उन्होंने आवाज सुनी और अभियुक्त के घर से धुआं

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निकलते देखा, फिर वह संजय मिश्रा (ब.सा.-3) के साथ अभियुक्त के घर गए, घर में कोई मौजूद नहीं था और मृतिका जली हुई हालत में आंगन में पड़ी थी, कुछ समय बाद, आवाज सुनकर, अभियुक्त प्रदीप तिवारी पान की दुकान की ओर आए और वे मृतिका को एक रिक्शा में अस्पताल ले गए, वह स्पष्ट रूप से बात करने की स्थिति में नहीं थी। संजय मिश्रा (ब.सा.-3) ने गुलाम रसूल अंसारी (ब.सा.-2) के साक्ष्य की पुष्टि की है और गवाही दी है कि जब घायल रश्मि जल रही थी, उन्होंने उससे पूछा जिस पर उसने उत्तर दिया कि उसे बदनाम किया गया है, इसलिए वह जीना नहीं चाहती है और उसने खुद अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली।

7. पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की विवेचना करने के पश्चात्, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को पूर्वोक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया और दण्डित किया।

8. हमने दोनों पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना, आपेक्षित फैसले और अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया है।

9. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता क्रमांक 2 के खिलाफ अपराध से जोड़ने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है, इसलिए अपीलकर्ता क्रमांक 2 के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा कानून के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। जहां तक अपीलकर्ता क्रमांक 1 की दोषसिद्धि और सजा का सवाल है, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय और निर्णायक सबूत पेश नहीं किया है कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 ने मृतिका के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। मृत्यु पूर्व बयान प्रदर्श पी -1 डॉक्टर की स्वास्थ्यता के प्रमाण पत्र के अभाव में साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है, प्रदर्श पी-1 पर डॉक्टर के केवल हस्ताक्षर यह तथ्य साबित नहीं करते हैं कि घायल बयान देने के लिए स्वास्थ्य स्थिति में थी। घटना के बाद, घायल रश्मि को मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां इलाज करने वाले डॉक्टर डॉ. अमित टोप्पो ने उसका बयान दर्ज किया कि यह एक आत्महत्या से जलने का मामला था जो प्रदर्श पी-21सी से पता चलता है। 100% जलने के मामले में व्यक्ति बयान देने की स्थिति में नहीं होगा। मृतिका के (मामा) सतीश कुमार तिवारी (अ.सा. -1) और मां निर्मला देवी (अ.सा. -5) के सामने दिए गए मौखिक मृत्यु पूर्व बयान पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं है, वे हितबद्ध गवाह हैं और उन्होंने मृतिका की मृत्यु के बाद ही पति और रिश्तेदारों को फंसाने के इरादे से गवाही दी है। अपीलकर्ताओं ने कभी दहेज की मांग नहीं की। विद्वान अधिवक्ता ने शरद बिरदीचंद सारडा बनाम महाराष्ट्र राज्य (एआईआर 1984 एससी 1622) के मामले में भरोसा जताया है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों में तथ्यों को अतिरंजित करने या जोड़ने की प्रवृत्ति होती है, न्यायालय को उनके साक्ष्य की बहुत सावधानी और सतर्कता से जांच करनी चाहिए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपील का विरोध किया और निवेदन किया कि मृतिका द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया मृत्यु-पूर्व बयान प्रदर्श पी-1 साक्ष्य में ग्राह्य है और सतीश कुमार तिवारी (अ.सा. -1) और निर्मला देवी (अ.सा. -5), जो क्रमशः मृतिका के मामा और माता हैं, के साक्ष्य से अच्छी तरह से पुष्ट होता है, जिनके समक्ष मृतिका ने उसी दिन अस्पताल में मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान दिया था। मृत्यु-पूर्व बयान के मामले में, बयान दर्ज करने वाले व्यक्ति को स्वयं को संतुष्ट करना आवश्यक है कि घायल व्यक्ति बयान देने के लिए मानसिक रूप से स्वास्थ्य है। डॉक्टर से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के अभाव में, इस प्रकार दर्ज किया गया मृत्यु-पूर्व बयान साक्ष्य में अग्राह्य नहीं हो जाता है।

11. पक्षकारों की ओर से दिए गए तर्कों का विवेचन करने के लिए, हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

12. वर्तमान मामले में, मृतिका की 100% जलने की चोटों के परिणामस्वरूप सेप्टीसीमिया के कारण हुई अस्वाभाविक मृत्यु को अपीलकर्ताओं द्वारा सार रूप में विवादित नहीं किया गया है, अन्यथा यह डॉ. जे.के. रेलवानी (अ.सा.-6) के साक्ष्य और शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी -9, जो यह दर्शाते हैं कि मृतिका के शरीर पर जलने की चोटें पाई गई थीं और मृतक की मृत्यु सेप्टीसीमिया के परिणामस्वरूप हुई, द्वारा स्थापित है।

13. प्रश्नगत अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता के संबंध में, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि घटना की तारीख को मृतिका द्वारा दिए गए लिखित और मौखिक मृत्यु-पूर्व बयान पर आधारित है।

14. सर्वप्रथम, मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-1 अपीलकर्ता संख्या 2 प्रदीप तिवारी के विरुद्ध नहीं है, यह केवल अपीलकर्ता क्रमांक 2 प्रदीप तिवारी की उपस्थिति दर्शाता है। मृतिका के मामा सतीश कुमार तिवारी (अ.सा.-1) ने अपने साक्ष्य में बयान दिया है कि अपीलार्थी संख्या 1 प्रमोद तिवारी ने मृतिका के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। मृतिका की मां निर्मला देवी (अ.सा. -5) ने मौखिक मृत्युकालिक कथन से संबंधित सतीश कुमार तिवारी (अ.सा.-1) के साक्ष्य की पुष्टि की है। लेकिन इन गवाहों ने अपीलकर्ता क्रमांक 2 प्रदीप तिवारी के खिलाफ कुछ भी बयान नहीं दिया है

15. पी.डी. लकड़ा (अ.सा. -2) ने अपने साक्ष्य में बयान दिया है कि अनुविभागीय अधिकारी, अंबिकापुर के मौखिक निर्देश के अनुपालन में, वह दिनांक 20-9-2001 को शाम 6.15 बजे मिशन अस्पताल गए जहाँ घायल रश्मि तिवारी को भर्ती कराया गया था, उन्होंने डॉक्टर से घायल की स्थिति के बारे में पूछा और संतुष्ट होने के बाद उन्होंने घायल रश्मि का मृत्युकालिक बयान दर्ज किया। अपने बयान में, रश्मि ने कहा है कि उसके पति प्रमोद तिवारी ने कमरा बंद करने के बाद उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी, उस समय, उसकी सास और बच्चे घर में मौजूद नहीं थे। उन्होंने आगे बयान दिया है कि मृत्युकालिक बयान दर्ज करते समय डॉक्टर भी मौजूद थे। अपनी जिरह में, उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि घायल होश में नहीं थी।

16. सतीश कुमार तिवारी (अ.सा.-1), मृतिका के मामा, ने भी बयान दिया है कि रश्मि ने मृत्युकालिक घोषणा की है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी। निर्मला देवी (अ.सा.-5), मृतिका की मां, ने अपने साक्ष्य के कंडिका 5 में बयान दिया है कि अपीलार्थी क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी ने उनकी बेटी के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी और दरवाजा भी बंद कर दिया, इसलिए उनकी बेटी घटना स्थल से भागने में असमर्थ रही।

17. बचाव पक्ष ने सतीश कुमार तिवारी (अ.सा.-1) से विस्तार से जिरह की है और अपनी विस्तृत जिरह में, उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने पहले क्रूरता और यातना से संबंधित मामले की सूचना इस आधार पर नहीं दी थी कि वे हिंदू हैं, उनके धर्म में केवल एक विवाह की अनुमति है और विवाद को आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है। अपने साक्ष्य के कंडिका 16 में, उन्होंने इस सुझाव से इनकार किया है कि जलने की चोटों के परिणामस्वरूप मृतका होश में नहीं थी, वह व्यक्तियों की पहचान करने में असमर्थ थी और वह आधारहीन बातें कर रही थी।

18. बचाव पक्ष ने निर्मला देवी (अ.सा.-5) से भी विस्तार से जिरह की है। अपनी जिरह के कंडिका 17 में, उन्होंने बयान दिया है कि घायल रश्मि का बयान उनके सामने दर्ज नहीं किया गया था। उन्होंने अपने साक्ष्य के कंडिका 19 में कहा है कि उन्होंने पहले दहेज की मांग से संबंधित रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. घायल रश्मि द्वारा दिए गए मौखिक मृत्युकालीन कथन से संबंधित साक्ष्य सतीश कुमार तिवारी (अ.सा.-1) और निर्मला देवी (अ.सा.-5) के बयानों में निर्विवाद है। ये दोनों गवाह मृतिका की मां और मामा हैं और मृतिका के रिश्तेदार हैं, लेकिन केवल उनके रिश्तेदारी के आधार पर, उनके बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता है।

20. सामान्यतः, एक करीबी रिश्तेदार वास्तविक अपराधी को बचाने और एक निर्दोष व्यक्ति को झूठा फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। रिश्तेदार गवाहों के साक्ष्य के विवेचन के संबंध में समय, सर्वोच्च न्यायालय ने शरद (पूर्वोक्त) के मामले में माना है कि पीड़ित के करीबी रिश्तेदारों में तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या जोड़ने की प्रवृत्ति होती है, अदालत को उनके साक्ष्य की बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ जांच करनी चाहिए। उपरोक्त उद्धृत मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का कंडिका 48 इस प्रकार है,

> 48. साक्षियों के साक्ष्य पर चर्चा करने से पहले, हम कुछ प्रारंभिक टिप्पणियाँ कर सकते हैं, जिस पृष्ठभूमि में मौखिक बयानों पर विचार किया जाना है। वे सभी व्यक्ति जिन्हें मंजू द्वारा मौखिक बयान दिए जाने की बात कही गई है, जब वह अंतिम बार बीड़ गई थी, वे मृतक के करीबी रिश्तेदार और दोस्त हैं। करीबी संबंध और स्नेह के मद्देनजर, साक्षी की स्थिति में किसी भी व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने या जोड़ने की प्रवृत्ति होगी जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताए गए होंगे। ऐसा नहीं है कि यह जानबूझकर किया जाता है, बल्कि अनजाने में भी मृतिका के प्रति प्यार और स्नेह कथित हत्यारे के प्रति मनोवैज्ञानिक घृणा पैदा करेगा और इसलिए, अदालत को ऐसे सबूतों की बहुत सावधानी और सतर्कता के साथ जांच करनी होगी। भले ही गवाह आंशिक सत्य या शायद पूरा सत्य बोल रहे हों, वे आरोपी व्यक्ति के खिलाफ प्रतिशोध या प्रतिशोध की भावना से निर्देशित होंगे इस प्रक्रिया में कुछ तथ्य जो शायद नहीं बताए गए थे या बताए नहीं जा सकते थे, उन्हें गवाहों द्वारा अपराधी को दंडित होते देखने के लिए अवचेतन रूप से बताए जाने की कल्पना की जा सकती है। यह मानवीय मनोविज्ञान है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता।

21. सतीश कुमार तिवारी (अ.सा.-1) और निर्मला देवी (अ.सा.-5) के मौखिक मृत्युपूर्व घोषणा से संबंधित साक्ष्य की पुष्टि कार्यपालक मजिस्ट्रेट पी.डी. लकड़ा (अ.सा.-2) के साक्ष्य और उनके द्वारा प्रदर्श पी-1 के माध्यम से दर्ज की गई मृत्युपूर्व घोषणा से भी होती है। अभियुक्त प्रमोद तिवारी से प्रदर्श पी-2 के माध्यम से खून से सने कपड़े भी जब्त किए गए। अपने साक्ष्य के कंडिका 9 में सतीश कुमार तिवारी (अ.सा.-1) ने प्रमोद तिवारी से केरोसिन की गंध वाली शर्ट और पैंट की जब्ती

से संबंधित बयान दिया है। मृत्युपूर्व बयान का तथ्य प्रदर्श पी-7 में भी उल्लेखित है जो तुरंत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट है।

22. मृत्युकालिक कथन का सिद्धांत कानूनी कहावत "नेमो मोरीटुरस प्रेसुमिटूर मेंटिन"- पर आधारित है- एक आदमी अपने निर्माता से मिलने झूठ के साथ नहीं जाएगा।

23. लॉर्ड चीफ जस्टिस बैरन आयर {देखें आर. बनाम वुडकॉक, (1789) 1 ली 502} ने मृत्युकालिक घोषणा से संबंधित अपना विचार निम्नानुसार व्यक्त किया: -

> "... कि ऐसी घोषणाएं उस चरम स्थिति में की जाती हैं, जब पक्षकार मृत्यु के कगार पर होता है, और जब इस दुनिया की हर आशा समाप्त हो चुकी होती है; जब असत्य बोलने का हर उद्देश्य मौन हो जाता है, और मन सबसे शक्तिशाली विचारों से सत्य बोलने के लिए प्रेरित होता है; ऐसी गंभीर और भयानक स्थिति को कानून द्वारा एक दायित्व बनाने वाला माना जाता है, जो न्यायालय में एक सकारात्मक शपथ द्वारा लगाए गए दायित्व के बराबर है ..."

24. जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्टेट ऑफ यू.पी. बनाम राम सागर यादव (एआईआर 1985 एससी 416) के मामले में माना गया है, यदि अदालत संतुष्ट है कि मृत्युकालिक घोषणा सत्य और स्वैच्छिक है, तो वह बिना किसी पुष्टि के भी उसके आधार पर दोषसिद्धि कर सकती है।

25. वर्तमान मामले में, बचाव पक्ष ने विजेंद्र प्रसाद गुप्ता उर्फ बीजू (ब.सा.-1) की जांच की है, जिन्होंने गवाही दी है कि उन्हें अपीलकर्ताओं या उनके रिश्तेदारों द्वारा दहेज की मांग से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। वह अपीलकर्ताओं का पड़ोसी है। गुलाम रसूल अंसारी (ब.सा.-2) ने गवाही दी है कि घटना के समय अपीलकर्ता घर पर मौजूद नहीं थे और प्रदीप तिवारी बाद में आए, मृतक बात करने की स्थिति में नहीं थी और वह संजय मिश्रा (ब.सा.-3) के साथ मृतिका को इलाज के लिए अस्पताल ले गए। लेकिन संजय मिश्रा (ब.सा.-3) ने अपने साक्ष्य के कंडिका 4 में विशेष रूप से गवाही दी है कि उन्होंने घायल रश्मि से घटना के बारे में पूछा था जिस पर उसने बताया कि उसे बदनाम किया गया है, इसलिए उसने खुद अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. गुलाम रसूल अंसारी (ब.सा.-2) और संजय मिश्रा (ब.सा.-3) के बयान आपस में विरोधाभासी हैं। उनके बयानों के अनुसार, वे एक साथ घटनास्थल पर गए थे, लेकिन गुलाम रसूल अंसारी (ब.सा.-2) के अनुसार घायल बात करने की स्थिति में नहीं थी, हालांकि संजय मिश्रा (ब.सा.-3) के साक्ष्य के अनुसार, घायल ने विशेष रूप से कहा था कि उसने खुद को बदनाम किए जाने के आधार पर अपने शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और खुद को आग लगा ली। यह उनके साक्ष्य को अविश्वसनीय और संदिग्ध बनाता है।

27. यह ससुराल पक्ष के घर में दुल्हन की मृत्यु का मामला है, जहां आरोप के अनुसार, ससुराल वाले और पति दहेज की मांग करते थे और क्रूरता व यातना करते थे। घरेलू हिंसा या उत्पीड़न के मामले में, सामान्यतः प्रभावित व्यक्ति अर्थात् बहू अपने पति या ससुराल वालों के उत्पीड़न या यातनापूर्ण रवैये के बारे में किसी को नहीं बताती या सूचित नहीं करती, लेकिन जब भी उसे अवसर मिलता है, वह इसके बारे में अपने माता-पिता को सूचित करती है। दुल्हन के माता-पिता सामान्यतः तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि पक्षों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की आशा में और भविष्य में उत्पन्न होने वाली जटिलताओं से बचने के लिए एक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन जब मामला असहनीय हो जाता है तब बहू या प्रभावित महिला विवाद को उनके हस्तक्षेप से सुलझाने के लिए अपने पति और ससुराल वालों के यातनापूर्ण रवैये का खुलासा पुलिस, पड़ोसी और उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों के सामने करती है।

28. केवल इस आधार पर कि मृतिका के रिश्तेदारों ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई या उन्होंने कानून का कोई सहारा नहीं लिया, उनके साक्ष्य को खारिज नहीं किया जा सकता। सतीश कुमार तिवारी (अ.सा. -1) और निर्मला देवी (अ.सा.-5) मृतिका के करीबी रिश्तेदार हैं और उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि रश्मि ने मरणासन्न घोषणा की थी कि उसके पति प्रमोद तिवारी (यहां अपीलकर्ता क्रमांक 1) ने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी। लेकिन उन्होंने प्रदीप तिवारी (यहां अपीलकर्ता क्रमांक 2) या अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ उपरोक्त अपराध करने के संबंध में गवाही नहीं दी है। यह दर्शाता है कि इन गवाहों ने तथ्यों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश नहीं किया है या जोड़ा नहीं है या उन्होंने अन्य व्यक्तियों को झूठा फंसाया नहीं है।

29. सतीश कुमार तिवारी (अ.सा.-1) और निर्मला देवी (अ.सा.-5) के साक्ष्य के सूक्ष्म परीक्षण पर, उनके साक्ष्य विश्वास जगाते हैं, उनके साक्ष्य विश्वसनीय हैं और तुरंत दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 और पी.डी. लकड़ा (अ.सा.-2) द्वारा

अभिलिखित मृत्युकालिक कथन प्रदर्श पी-1 से संपुष्ट होते हैं। मृतका द्वारा दिए गए मौखिक और लिखित मृत्युकालिक कथन यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी ने मृतका के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला और उसे आग लगा दी, और जिससे मृतका की मानव वध मृत्यु कारित की। मिट्टी का तेल डालकर और मृतका को आग लगाकर मृत्यु कारित करना दर्शाता है कि अपीलकर्ता क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी ने मृतका की हत्या की कोटि में आने वाली मानव वध मृत्यु कारित की है।

30. सतीश कुमार तिवारी (अ.सा. -1) और निर्मला देवी (अ.सा. -5) ने भी अपीलकर्ताओं और अपीलकर्ता क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी के अन्य रिश्तेदारों के खिलाफ दहेज की मांग से संबंधित साक्ष्य दिए हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई विशिष्ट घटना के बारे में नहीं बताया गया है। सर्वव्यापी और अस्पष्ट बयानों के आधार पर दहेज की मांग या यातना और क्रूरता कारित करने से संबंधित कोई भी सकारात्मक निष्कर्ष कानूनी रूप से संभव नहीं होगा। इन दोनों गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता संख्या 1 प्रमोद तिवारी का व्यवहार अपनी पत्नी के साथ सौहार्दपूर्ण नहीं था और अंत में उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जो हत्या के समान है। दहेज की मांग और क्रूरता व यातना कारित किये जाने संबंधित सुसंगत साक्ष्य के अभाव में, अपीलकर्ताओं की भा.दं सं की धारा 498क, और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत दोषसिद्धि और सजा कानून के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

31. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों की विवेचना करने के बाद, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को इस फैसले के कंडिका 1 में उल्लिखित तरीके से दोषी ठहराया और दण्डादेश दिया, लेकिन मामले के सबसे महत्वपूर्ण पहलू यानी दहेज की मांग और क्रूरता और उत्पीड़न कारित करने संबंधित साक्ष्य के अभाव पर विचार नहीं किया है, और इस तरह, अधीनस्थ न्यायालय ने अवैधता की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया है कि अपीलकर्ता क्रमांक 2 प्रदीप तिवारी की केवल उपस्थिति उसके खिलाफ अपराध कारित किए जाने का कोई सकारात्मक अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, वह भी उसके घर में।

32. उपरोक्त कारणों से, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(a) अपीलकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 498क, और दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 व 4 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और सजाएं एतद्द्वारा अपास्त की जाती हैं और अपीलकर्ताओं को उक्त आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

(b) अपीलकर्ता क्रमांक 2 प्रदीप तिवारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और सजाएं भी अपास्त की जाती हैं और उन्हें उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। वर्तमान में, वह जमानत पर हैं, उनके जमानत बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं और उन्हें न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

(c) अपीलकर्ता क्रमांक 1 प्रमोद तिवारी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के तहत अधिरोपित दोषसिद्धि और सजाएं एतद्द्वारा बरकरार रखी जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
आर.एल. झंवर
न्यायाधिपति

हस्ताक्षरित/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधिपति

**अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

**Translated By .....**Pritika Pandya